



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228776
CG-DL-E-05082021-228776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]
No. 317]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SHRAVANA 14, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

सन्दर्भ : HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (198).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन कर्ता है:

आई एस 1374 : 2007 की स्थापना को अधिसूचित करने वाली अनुसूची में, संबंधित पंक्ति के कॉलम (5) में, मौजूदा के लिए '31 नवंबर 2021' को प्रतिस्थापित करें, जिससे आई एस 1374 : 1992 और आई एस 1374 : 2007 के एक साथ चलने की अवधि 31 नवंबर 2021 तक बढ़ जाए।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./182/2021-22]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd August, 2021

Ref : HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (198).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary in pursuance of clause (b) of subrule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, of the Gazette of India:

In the schedule notifying the establishment of IS 1374 : 2007 (superseding IS 1374 : 1992), in column (5) of the respective row, substitute '**31 November 2021**' for the existing, thereby extending the concurrent running period of IS 1374 : 1992 & IS 1374 : 2007 up to 31 November 2021.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization-P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./182/2021-22]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

संदर्भ : HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (199).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ HQ-Pub013/1/2020-21 (163) दिनांक 2 जून 2021 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में 4 जून 2021 को प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

अंग्रेजी अनुसूची के क्रम संख्या (11) कॉलम (5) में – '**1 month from the date of CA's approval**' को '**31 March 2021**' से प्रतिस्थापित करें।

हिंदी अनुसूची के क्रम संख्या (11), कॉलम (5) में – '**30 जून 2021**' को '**31 मार्च 2022**' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./182/2021-22]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th July, 2021

Ref : HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (199).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 4 June 2021 in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary vide Ref: HQ-Pub013/1/2020-21 (163) dated 02 June 2021 in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

Sl. No. (11), column (5) of the schedule in English – Substitute '**31 March 2022**' for '**1 month from the date of CA's approval**'.

Sl. No. (11), column (5) of the schedule in Hindi – Substitute '**31 मार्च 2022**' for '**30 जून 2021**'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization-P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./182/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (200).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को निरस्त न हो जायें।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 808 : 2021 तप्त वेलित इस्पात बीम, कॉलम, चैनल और कोण अनुभाग – आयाम और गुण (चौथा पुनरीक्षण)	29 जुलाई 2021	आई एस 808 : 1989 तप्त वेलित इस्पात बीम, कॉलम, चैनल तथा एंगल सैक्शनों के आयाम (तीसरा पुनरीक्षण) आई एस 12778 : 2004 इस्पात के तप्त वेलित समान्तर फ्लेंज सैक्शन से बने बीम स्तम्भ एवं बेयरिंग पाइल सैक्शन – आयाम और सैक्शन के गुणधर्म (पहला पुनरीक्षण)	28 अगस्त 2021
2	आई एस 15105 : 2021 जड़ित स्वचालित स्प्रीकलर अग्निशमन तंत्र के डिज़ाइन, संस्थापन और रखरखाव – रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	29 जुलाई 2021	आई एस 15105 : 2002 जड़ित स्वचालित स्प्रीकलर अग्निशमन तंत्र के डिज़ाइन, और संस्थापन की रीति संहिता	28 अगस्त 2021
3	आई एस 17625 (भाग 2/अनुभाग 69) : 2021/आई एस ओ 80601-2-69 : 2020 चिकित्सा विद्युत उपकरण भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्य निष्पादन के लिए विशेष आवश्यकताएं अनुभाग 69 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपकरण	29 जुलाई 2021	लागू नहीं	लागू नहीं

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवान, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./182/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (200).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 808 : 2021 Hot Rolled Steel Beam, Column, Channel and Angle Sections — Dimensions and Properties (Fourth Revision)	29 July 2021	IS 808 : 1989 Dimensions for Hot Rolled Steel Beam, Column, Channel and Angle Sections (Third Revision) IS 12778 : 2004 Hot Rolled Parallel Flange Steel Sections for Beams, Columns and Bearing Piles — Dimensions and Section Properties (First Revision)	28 Aug 2021
2	IS 15105 : 2021 Design, Installation and Maintenance of Fixed Automatic Sprinkler Fire Extinguishing Systems — Code of Practice (First Revision)	29 July 2021	IS 15105 : 2002 Design and Installation of Fixed Automatic Sprinkler Fire Extinguishing Systems — Code of Practice	28 Aug 2021
3	IS 17625 (Part 2/Sec 69) : 2021/ISO 80601-2-69 : 2020 Medical Electrical Equipment Part 2 Particular Requirements for Basic Safety and Essential Performance Section 69 Oxygen Concentrator Equipment	29 July 2021	NA	NA

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices : Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization–P & M)

[ADVT.-III/4/Ext./182/2021-22]